ख़ास-खबरें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अल्प प्रवास के दौरान शुक्रवार को ग्वालियर के घाटीगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ शबरी माता मंदिर में पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज बरही के किसान सम्मेलन में होंगे शामिल

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 14 मार्च को कटनी जिले के बरही (विजयराघवगढ़) में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 243.22 करोड़ रुपये के निर्माण व विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बरही के बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे और बरही के बड़े तालाब से श्री विजयनाथ धाम मंदिर प्रांगण सभा स्थल तक आभार रैली में शामिल होंगें। डॉ. यादव किसान सम्मेलन में कृषि एवं उससे संबंधित विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, सुपर सीडर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्व-सहायता समूह बैंक योजना और रिस्पोंसिबल टूरिज्म होम स्टे से लाभान्वित 7 हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे।

गंभीर अनियमितताओं पर आयुष्मान योजना से वेदान्त हॉस्पिटल, इंदौर निलंबित

भोपाल: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम्', ने वेदान्त हॉस्पिटल, इंदौर के भौतिक निरीक्षण में योजनांतर्गत निर्धारित मानकों के गंभीर उल्लंघन पर वेदान्त हॉस्पिटल, इंदौर को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना से निलंबित कर दिया गया है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की स्थिति अत्यंत खराब एवं अस्वच्छ पाई गई। सर्जिकल ऑनकोलॉजी में संबद्ध होने के बावजूद ट्यूमर बोर्ड उपलब्ध नहीं था। कैजुअल्टी/इमरजेंसी सुविधा भी नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त प्रचार-प्रसार सामग्री, मरीजों के भोजन की व्यवस्था एवं पर्याप्त स्टाफ का अभाव भी पाया गया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इन अनियमितताओं को गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत त्रुटि माना है। साथ ही अस्पताल के विरुद्ध आगे की सख्त कार्रवाई करते हुए योजना से असंबद्ध करने की प्रक्रिया भी की जाएगी।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पहले दिन ही दिखा उत्साह

भोपाल: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पहले दिन अभिभावकों में खासा उत्साह देखा गया। शुक्रवार शाम 6:30 बजे तक 22 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके थे। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने पोर्टल का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि पहले ही दिन बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होना शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। दस्तावेजों का सत्यापन 14 से 30 मार्च तक संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में किया जाएगा।

सारंग ने रोइंग प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

भोपाल: यंग इंडियंस भोपाल चैप्टर द्वारा 15 मार्च तक आयोजित वेस्टर्न रीजन काउंसिल मीटिंग 2026 के पहले दिन शुक्रवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने छोटे तालाब में रोइंग (नौकायन) प्रतियोगिता का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा उद्यमी और व्यवसायी राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसका समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने युवा नेतृत्व को भारत की विकास यात्रा का आधार बताया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मध्यप्रदेश के 15 शहरों से 200 से अधिक युवा उद्यमी, उद्योगपति, पेशेवर और युवा नेता शामिल हैं।

किन्नर काजल बंबईया ने दुकानदार के साथ की मारपीट, प्रकरण दर्ज गिरफ्तार

भोपाल। बजरिया इलाके में कुख्यात किन्नर काजल बंबईया ने शराब के नशे में एक किराने की दुकान में जमकर उत्पात मचाते हुए व्यापारी के साथ जमकर मारपीट कर उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने आरोपी किन्नर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शंकराचार्य नगर में रहने वाले जैनपाल (55) की सिकंदरी सराय में किराने की दुकान है। बीती शाम उनकी दुकान पर किन्नर काजल उर्फ बंबईया शराब के नशे की हालत में पहुंचा। वह दुकान से मुफ्त में सामान देने और दो हजार रुपए देने की मांग कर रहा था। जब व्यापारी ने उसकी मांग नहीं मानी तो आरोपी किन्नर ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट और तोड़फोड़ से दहशत में आया व्यापारी थाने पहुंचा। जहां पुलिस उसके साथ मौके पर पहुंची और आरोपी किन्नर को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर आरोपी किन्नर के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया गया है की आरोपी किन्नर के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

मंत्री-मण्डल समिति ने की पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा

एलपीजी गैस की उपलब्धता पर रखी जा रही है पैनी नजर:देवड़ा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्यप्रदेश में एलपीजी गैस की नियमित उपलब्धता और पेट्रोलियम पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मण्डल समिति ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक आयोजित की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अधिकारियों को कहा कि सभी जिलों में गैस की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एटीएस, क्रूड ऑयल और घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सिलेंडर वितरण की समयबद्धता, एजेंसियों के संचालन और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि तकनीकी कारणों से सिलेण्डर बुकिंग पोर्टल पर असुविधा हुई थी, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन बुकिंग भी की जा सकेगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शमी ने पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और खाड़ी देशों से प्रदेश के प्रवासियों को सुरक्षित लाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक वाटलिंग प्लांट और वितरकों के गोदाम में उपलब्ध है।

प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 25 दिन के अंतराल के बाद ही रिफिल बुकिंग कराई जा सकेगी। अधिकारियों ने कहा कि घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति है और अफवाहों से भ्रमित न हों। देश की रिफाइनरी उच्च क्षमता पर कार्य कर रही है और अतिरिक्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उपभोक्ताओं के लिए शिकायत/सुझाव के टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। बैठक में सचिव गृह कृष्णावेनी देसावातु, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा और ऑयल कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गैस किल्लत पर युवा कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ईरान-इज़राइल युद्ध और अमेरिका के दबाव में केंद्र सरकार की 'सरेंडर' नीति तथा इसके परिणामस्वरूप देश में बढ़ती गैस किल्लत के विरोध में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में भोपाल शहर युवा कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया।

उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे पर 'नरेन्दर सरेंडर गैस सिलेंडर सेंटर' खोला और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।

जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित खत्री और अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ा है। गैस सिलेंडरों की कमी और बढ़ती महंगाई ने देश के आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला है। मनोज शुक्ला ने कहा कि 'नरेंदर भी गायब और सिलेंडर भी गायब' और केंद्र की नीतियों के कारण आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी और आम जनता की समस्याएँ और बढ़ेंगी। युवा कांग्रेस का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार की नीतियों पर तंज़ करते हुए किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने कहा था 'आपदा में अवसर बनाइए,' लेकिन अब जनता के लिए यह अवसर संकट में बदल गया है।

विनीत गैस एजेंसी का आकस्मिक निरीक्षण, स्टॉक में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में गैस सिलेंडरों के भंडारण और वितरण व्यवस्था की जांच के तहत आज एसडीएम एमपी नगर एलके खरे द्वारा जंबूरी मैदान स्थित विनीत गैस एजेंसी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में कमर्शियल एवं घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिनके स्टॉक में अनियमितता सामने आई। निरीक्षण के दौरान गोदाम के अंदर 51 बड़े कमर्शियल सिलेंडर, 147 पाँच किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर तथा 18 प्लास्टिक कमर्शियल सिलेंडर भरे हुए पाए गए। इसके अतिरिक्त घरेलू श्रेणी के 535 भरे हुए तथा 823 खाली सिलेंडर भी गोदाम में पाए गए।

जांच के दौरान उपलब्ध सिलेंडरों का स्टॉक रजिस्टर से मिलान नहीं हो पाया, जिससे अनियमितता की आशंका व्यक्त की गई। निरीक्षण के समय फूड इंस्पेक्टर प्रवीण भी उपस्थित रहे। श्री खरे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड इंस्पेक्टर को आवश्यक जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर ही संपूर्ण कार्रवाई का पंचनामा तैयार किया गया तथा संबंधित गैस एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गैस सिलेंडरों के भंडारण और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गुफा मंदिर,लालघाटी स्थित ममता गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और वितरण पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई।

भोपाल जल अभावग्रस्त घोषित निजी ट्यूबवेल खनन पर रोक

भोपाल। राजधानी में गिरते भूजल स्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर कोशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी कर पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही निजी ट्यूबवेल और बोरवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

आदेशानुसार अब जिले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का ट्यूबवेल या नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बोरिंग कराता है या बोरवेल मशीन जिले में प्रवेश करती है, तो संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक की सजा या दोनों का प्रावधान है। साथ ही बोरवेल मशीनों के जिले से गुजरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने तेज गर्मी और लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए इस बार यह प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिया है। पिछले वर्ष यह आदेश 7 अप्रैल को जारी किया गया था, जबकि इस बार करीब 25 दिन पहले ही लागू कर दिया गया है। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल निजी नलकूपों पर लागू होगा। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन कार्यों पर यह रोक लागू नहीं होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित कार्यों के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासन के अनुसार जिले में कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जल स्तर तेजी से गिर रहा है।

किशोर की संदिग्ध मौत

भोपाल: जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित जिंसी पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले 17 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शार्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो सकेगा कि मौत कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुई है अथवा अन्य कोई वजह है। पुलिस के मुताबिक जिंसी पुलिस चौकी के पीछे जहांगीराबाद निवासी अब्दुल रहमान (17) निजी काम करता था। परिजनों ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी थी, और सिर-दर्द की समस्या रहती थी। सोमवार रात उसे उल्टी होने पर तबीयत बिगड़ने लगी परिजनो ने जब उससे पूछा तब उसने बताया कि उसने सोडा वाटर पीया था। मंगलवार सुबह परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां इलाज के दौरान बुधवार रात उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुचीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालो को सौपं दिया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिर्पोट आने पर ही मौत के कारणो का खुलासा हो सकेगा।

महिला के खाते से चार लाख रुपए उड़ाए

भोपाल: मिसरोद इलाके में टिफिन सेंटर चलाने वाली महिला संचालिका के बैंक एकाउंट से सायबर जालसाजों ने चार लाख की रकम गायब कर दी। पुलिस ने मामले की जॉच के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सागर ईडन गार्डन निवासी शालिनी पति शरद (70) टिफिन सेंटर चलाती हैं। नवंबर 2025 को महिला ने अपने बैंक खाते में देखा तो उसमें चार लाख रुपए कम थे। जब उन्होंने मैसेज चैक किए तो पता चला कि दो बार में दो-दो लाख रुपए की रकम निकाली गई है। जबकि उन्होंने ना तो किसी को चैक दिया था, और ना ही यूपीआई से रकम किसी को ट्रांसफर की थी।

प्रतापगढ़ एक्सप्रेस में सफर के दौरान डेढ़ लाख के गहने चोरी

भोपाल: प्रतापगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से राय बरेली से भोपाल का सफर कर रहे वृद्ध दंपति का बैग अज्ञात बदमाश ने चलती ट्रेन में चोरी कर लिया। बैग में एक लाख 65 हजार रुपए के जेवरात रखे थे। जीआरपी के मुताबिक लेक व्यू कॉलोनी ग्राम बरखेड़ी बाजाफ्ता रातीबड़ निवासी शिव बहादुर यादव (70) ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि बीती 9 मार्च को वह ट्रेन प्रतापगढ़ एक्सप्रेस के कोच एस-8 की बर्थ क्रमांक 28 व 25 पर अपनी पत्नी माधुरी यादव के साथ राय बरेली से भोपाल की यात्रा कर रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने अपना बैग 28 नंबर बर्थ के नीचे रख दिया था। रेलवे स्टेशन लखनऊ आने से पहले दंपति सो गए थे। रेलवे स्टेशन भोपाल आने से थोड़ी देर पहले उनकी नींद खुली तो सीट के नीचे रखा बैग गायब नजर आया।

तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, मौत

भोपाल: बैरसिया इलाके में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था की टक्कर लगने से बाइक सवार पति-पत्नी करीब दस फीट दूर जाकर सड़क किनारे झाड़ियों में गिरे। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्राम मनीखेड़ी गुनगा में रहने वाले मोहर सिंह रैकवार पेशे से खेती-किसानी करते थे। अपनी पत्नी उमा बाई के साथ बाइक पर सवार होकर मनीखेड़ी से रिश्तेदारों के घर ग्राम नंदगांव जा रहे थे। तरावली जोड़ के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

युवक का मोबाइल हैक कर फोन पे से 1 लाख 45 हजार उड़ाए

भोपाल: पुराने शहर के शाहजहांनाबाद थाना इलाके में रहने वाले एक युवक का मोबाइल हैक कर साइबर जालसाजों ने फोनपे के माध्यम से 1 लाख 45 हजार रुपए की धोखाधड़ी कर दी। पीड़ित के मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप डॉउनलोड था, मोबाइल हैक होने के बाद पहले हैकर ने गूगल सर्विस के नाम से ऐप डाउनलोड किया और फरियादी के दोनों खातों से रकम उड़ा दी। इस दौरान युवक मोबाइल स्वीच ऑफ करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मोबाइल बंद नहीं हो रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आरिफ खान (40) कमला देवी हॉस्पिटल के पास दारुल अमन कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। वह फर्नीचर का काम करते है। अपनी शिकायत में उन्होनें बताया की बीती 5 मार्च को उनका मोबाइल हैक होने के बाद बैंक खातों से फोनपे के माध्यम से बिना अनुमति के कुल 1 लाख 45 हजार रुपए निकाल लिए गए। आरिफ खान ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से फोनपे के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल
आम सूचना

सर्जना गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित गौतम नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल भूखण्ड/भवन क्रं. एम-285 मण्डल द्वारा श्री राम कुमार शुक्ला आत्मज श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ला के पर नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 08/06/1982 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री राम कुमार शुक्ला आत्मज श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ला की दिनांक 02/12/2024 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी/पुत्रगण/पुत्री 1) श्रीमती हेमलता शुक्ला पत्नी स्व. श्री राम कुमार शुक्ला 2) श्री दीपक शुक्ला आत्मज स्व. श्री राम कुमार शुक्ला 3) श्री नीलेश शुक्ला आत्मज स्व. श्री राम कुमार शुक्ला 4) सुश्री श्वेता शुक्ला पुत्री स्व. श्री राम कुमार शुक्ला के द्वारा उक्त भवन अपने संयुक्त नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति 1) श्रीमती हेमलता शुक्ला पत्नी स्व. श्री राम कुमार शुक्ला 2) श्री दीपक शुक्ला आत्मज स्व. श्री राम कुमार शुक्ला 3) श्री नीलेश शुक्ला आत्मज स्व. श्री राम कुमार शुक्ला 4) सुश्री श्वेता शुक्ला पुत्री स्व. श्री राम कुमार शुक्ला के संयुक्त नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल
3933

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजउद्दीन पिता शराफल खां निवासी हाउस नंबर 134 ग्राम मुरहारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मप्र का रहने वाला हूं। मेरा नाम भू अधिकार पुस्तिका व वोटर कार्ड में राजउद्दीन पिता शराफल खां दर्ज है, जो कि सही है। जबकि आधार कार्ड पर रियाजउद्दीन दर्ज है, जो कि गलत है। आधार कार्ड पर भी राजउद्दीन किया जाए। और मुझे भविष्य में राजउद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाए।
AG

नाम परिवर्तन सूचना

मैं महेंद्र कुमार यादव पिता हरिशंकर आयु 45 वर्ष निवासी वार्ड क्र-9 यादव चौक शिवपुर, नर्मदापुरम मप्र में रहने वाला हूं। मेरी पुत्री दर्शिता यादव के आधार कार्ड में उसका नाम शक्ति यादव नाम दर्ज है, जो की गलत है। जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में सही नाम दर्शिता यादव दर्ज है। मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में भी दर्शिता यादव होना है। अब भविष्य में मेरी पुत्री को दर्शिता यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।
महेंद्र कुमार यादव
शिवपुर, नर्मदापुरम
AG

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, निशातपुरा, नारियलखेडा, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक 193 मण्डल द्वारा श्री के. एम. कुरैशी आत्मज श्री ए. एम. कुरैशी के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 19/02/1988 को पंजीकृत है। श्री के. एम. कुरैशी द्वारा उक्त सम्पत्ति का मुख्तारआम श्री विजय कुमार शर्मा आत्मज श्री श्यामलाल शर्मा को नियुक्त कर दिनांक 06/08/1993 को पंजीकृत किया गया है। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण मण्डल में श्री के. एम. कुरैशी के द्वारा श्री विजय कुमार शर्मा के पक्ष किया गया लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख 30 दिवस में निष्पादित नही किया गया। तत्पश्चात उक्त मुख्तारग्रहिता द्वारा उक्त सम्पत्ति (1) श्री अशोक कुमार मिश्रा आत्मज स्व. श्री मातादीन मिश्रा (2) श्रीमती सुनीता मिश्रा पत्नी श्री अशोक कुमार मिश्रा को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 27/10/2010 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं हो पाया एवं इसी बीच क्रेता नं. 2 श्रीमती सुनीता मिश्रा का स्वर्गवास दिनांक 18/09/2018 को हो गया है। क्रेता/विक्रेता के मुख्तारआम द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति में से एक नाम विलोपित कर (1) श्री अशोक कुमार मिश्रा आत्मज स्व. श्री मातादीन मिश्रा (2) श्री अभिषेक मिश्रा आत्मज श्री अशोक कुमार मिश्रा के पक्ष से हस्तांतरित् एवं नामांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण व नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल
3939

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र.2929/अ-6/2025-26
सार्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/बटान/बटवारा/सीमांकन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 30/3/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/ बटान/ बटवारा/ सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:-ग्राम का नाम लाउखेडी, खसरा नंबर 182/1/1/2/एस, क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) श्रीमती शैतान पंवार पत्नी भगवान सिंह निवासी शहर आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल
3940

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र.2930/अ-6/2025-26
सार्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/बटान/बटवारा/सीमांकन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 30/3/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/ बटान/ बटवारा/ सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:-ग्राम का नाम लाउखेडी, खसरा नंबर 182/1/1/2/एस, क्षेत्रफल 410 वर्गफिट, उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) श्रीमती पेप कुँवर बाई। हिन्दु सिंह निवासी शहर आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल
3941

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र.2931/अ-6/2025-26
सार्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/बटान/बटवारा/सीमांकन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 30/3/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/ बटान/ बटवारा/ सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:-ग्राम का नाम लाउखेडी, खसरा नंबर 182/1/1/2/एस, क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट, उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) भगवान सिंह/बापू सिंह निवासी शहर आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल
3942

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र.2932/अ-6/2025-26
सार्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/बटान/बटवारा/सीमांकन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 30/3/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/ बटान/ बटवारा/ सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:-ग्राम का नाम लाउखेडी, खसरा नंबर 182/1/1/2/एस, क्षेत्रफल 2000 वर्गफिट, उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) श्रीमती पेप कुँवर बाई/श्री हिन्दु सिंहनिवासी शहर आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल
3943

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पक्षकार श्री विजय कुमार पुत्र श्री स्व. श्री राम अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी ए-1, नीटटर कैंपस, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र) द्वारा मेसर्स अराध्य भूमिका कंसत्रक्शन, द्वारा बिल्डर श्री विकास शर्मा पुत्र श्री एस.एस.शर्मा, आयु वयस्क, पता म. न. 21, अमलतास, चुनाभट्टी, भोपाल (म.प्र) को दिनांक 23/02/2026 को रजिस्ट्री में त्रुटि सुधार (Amendment) एवं ए.बी. स्मार्ट सिटी का कब्जा/विकास कार्य पूर्ण करने हेतु विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया गया था । जो कि श्री विकास शर्मा को प्राप्त हो गया था किन्तु श्री विकास शर्मा द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। मेरे पक्षकार ने आपसे ए.बी. स्मार्ट सिटी में स्थित प्लॉट संख्या C-46 (कॉर्नर प्रॉपर्टी) क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 13/12/2012 को आप नोटिसी द्वारा संपादित कराई गई थी। श्री विकास शर्मा द्वारा कराई गई रजिस्ट्री के उपरांत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि रजिस्ट्री में टाइपिंग त्रुटि के कारण प्लॉट संख्या C-44 के स्थान पर C-46 अंकित हो गया है तथा गलत मानचित्र (Map) संलग्न कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त संपत्ति कि रजिस्ट्री पर त्रुटि सुधार (Amendment) हेतु आप 7 दिवस के भीतर मेरे पक्षकार से संपर्क कर सुधार करवाएं। ऐसा न करने कि स्थिति में मेरे पक्षकार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हो जावेगा। उक्त संबंध में जाहिर सूचना के प्रकाशन करता हूँ। **नोट** - इसकी एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे कार्यालय में सुरक्षित है।

अक्षत कुमार, अधिवक्ता
E-6/53,MOHINI SHANKAR COMPLEX, 11 NO, NEAR SAI BABA BOARD, ARERA COLONY, BHOPAL (M.P.)
MO.91-8109347770
3944